

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 13/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च, 2021

सा.का.नि. (अ.) - जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "सिप्रोफ्लोकसासिन हाइड्रोक्लोराइड" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2941 90 30 के अंतर्गत आती है, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्राथमिक निष्कर्ष, जिसे अधिसूचना संख्या 6/36/2019-डीजीटीआर, दिनांक 15 जून, 2020, के तहत दिनांक 15 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 2 सितम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 544 (अ), दिनांक 2 सितम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 2020 से उपर्युक्त विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाया था;

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/36/2019-डीजीटीआर, दिनांक 7 जनवरी, 2021, जिसे दिनांक 7 जनवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में 15 जून, 2020 की प्राथमिक निष्कर्षों की अभिपुष्टि करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि -

- (i) प्रश्नगत उत्पाद को विषयगत देश से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था;
- (ii) इससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से प्रश्नगत उत्पाद के पाटित आयात के कारण हुई है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर

विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29419030	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शांगयू जिंगशीन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड	2.38	अमेरिकी डालर	कि.ग्रा.
2	29419030	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेजिआंग लांगहुआ फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड	0.91	अमेरिकी डालर	कि.ग्रा.
3	29419030	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेजिआंग गुओबांग फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड	1.87	अमेरिकी डालर	कि.ग्रा.
4	29419030	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1, 2 और 3 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई उत्पादक	3.27	अमेरिकी डालर	कि.ग्रा.
5	29419030	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जनवादी गणराज्य से	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	3.27	अमेरिकी डालर	कि.ग्रा.

			भिन्न कोड भी देश					
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क अनंतिम प्रतिपादन शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात् 2 सितम्बर, 2020 से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) तक लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा:

बशर्ते कि उक्त प्रतिपादन शुल्क अनंतिम प्रतिपादन शुल्क के समाप्त होने की तारीख अर्थात् 2 मार्च, 2021 से लेकर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने के एक दिन पूर्व तक लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/95/2020 -टीआरयू]

(राजीव रंजन)  
अवर सचिव, भारत सरकार